NABARD

संदर्भ सं. राबैं.प्रका.एसपीपीआईडी/ 31916 /एसपीपीआईडी-28/2024-25

परिपत्र सं. 155/एसपीपीआईडी-02/2024

09 अगस्त 2024

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नाबार्ड सीबीएस परियोजना में सहभागी ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय

ग्रामीण सहकारी बैंकों में सीबीएस का कार्यान्वयन: संशोधित अभिशासन प्रणाली

1. कृपया दिनांक 21 मार्च 2012 के नाबार्ड के परिपत्र सं. 61/ डीसीबीएस-03/ 2012 (संदर्भ सं. राबैं.डीसीबीएस/ 62/ सीबीएस-36/ 2011-12) का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से पहचाने गए ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) में सीबीएस परियोजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने और उसका अनुप्रवर्तन करने हेतु एक अभिशासन प्रणाली स्थापित करने की सूचना प्रदान की गई थी.

2. इस संबंध में यह स्मरण किया जाए कि नाबार्ड ने वर्ष 2012 में कुछ चुनिन्दा ग्रामीण सहकारी बैंकों को सीबीएस प्लैटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने में सहायता प्रदान की थी और वर्ष 2017 में बैंकों ने उक्त व्यवस्थाओं को नवीकृत करने की स्वयं पहल की थी.

3. उच्चतर संस्करणों में अपग्रेड करने की महत्ता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सीबीएस प्लैटफॉर्म जैसे, टीसीएस क्लाउड के संबंध में डॉटनेट को जावा में अपग्रेड करने तथा फिनेकल क्लाउड के संबंध में 7.x को 10.2.25 संस्करण में अपग्रेड करने की दिशा में नाबार्ड ने पुनः इस प्रक्रिया को सुलभ रूप से कार्यान्वित करने का कार्य वर्ष 2023 में संविदाओं के नवीकरण करने के दौरान किया है.

4. उक्त प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने और सहकारिता के क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हुए दो स्वतंत्र समझौता वार्ता समितियों (जिनमें संबंधित क्लाउडों में प्रतिभागी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे) का गठन किया गया था, जिसमें नाबार्ड ने भी इन समितियों की आपस की चर्चा एवं समितियों के साथ वेंडर/ वेंडरों की चर्चा को सुगम बनाया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्थाओं के नवीकरण की दरों को अंतिम रूप देना था. इसके पश्चात हमने संयुक्त रूप से टीसीएस क्लाउड के तहत सभी बैंकों के लिए बात-चीत सम्पन्न की और करार निष्पादित किए और फिनेकल क्लाउड के लिए बैंकों के संदर्भ में ऑनबोर्ड किए गए नए वेंडर के साथ यह कार्य लगभग समाप्ती की ओर अग्रसर है.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development

रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0051 • **ई मेल** : sppid@nabard,org
Strategic Planning and Product Innovation Department
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0051 • E-mail : sppid@nabard.org

NABARD

5. साथ ही, एक नए एसआई के रूप में डायनाकान्स को फिनेकल क्लाउड हेतु ऑनबोर्ड किया गया है, और नाबार्ड ने वर्तमान वेंडर अर्थात्, विप्रो द्वारा अपने दायित्वों को पूरी तरह और निर्बाध रूप से दिसंबर 2025 तक सुगमता से हस्तांतरित किए जाने हेतु एक कार्यशील व्यवस्था भी प्रदान की है.

6. इन सभी के लिए बैंकों और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों द्वारा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी. इसे सक्षम बनाने के लिए, उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार लागू अभिशासन तंत्र की समीक्षा की गई है और एक संशोधित अभिशासन तंत्र को अंतिम रूप दिया गया है तथा इस परिपत्र के अनुबंध -I के रूप में संलग्न किया गया है, जिससे इस परियोजना में शामिल सभी हितधारकों की उभरती आवश्यकताओं को और अधिक एवं पूर्ण रूप से संबोधित करने की उम्मीद है.

7. इसके साथ ही संशोधित व्यवस्था में राज्य स्तरीय परियोजना अनुप्रवर्तन समिति, सूचनाएँ साझा करने और मामलों को सुलझाने के परिप्रेक्ष्य में निरंतर एक गंभीर और महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने वाली बनी रहेगी. क्षेत्रीय कार्यालयों को राज्य स्तरीय परियोजना अनुप्रवर्तन समिति में अर्थपूर्ण विचार-विमर्श करवाने में सहायता करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जो अनुबंध II के रूप में संलग्न हैं.

8. एक संरचित रिपोर्टिंग व्यवस्था की परिकल्पना भी की गई है ताकि लिए गए निर्णयों का उचित गंभीरता से पालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. यह अनुबंध III (एसएलपीएमसी अनुप्रवर्तन प्रारूप) और IV (संपन्न बीएलपीएमसी बैठकों का विवरण) के रूप में संलग्न है.

9. यह सूचित किया जाता है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं कि उक्त अभिशासन व्यवस्था (अनुबंध I और II) तथा इसके तहत परिकल्पित रिपोर्टिंग ढांचा (अनुबंध III और IV) इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी हो जाए.

10. उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित हमारे परिपत्र में इंगित अनुदेशों को ये अनुदेश अधिक्रमित करते हैं.

कृपया पावती दें

eSign
Signed by: SIVARAMAKRISHNAN MANIKUMAR
Location: Mumbai, India
Organization Name: THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Date: 09-Aug-2024 (12:54 PM)

मणिकुमार एस
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न:

1. **अनुबंध I:** अभिशासन व्यवस्था ढांचा
2. **अनुबंध II:** राज्य स्तरीय परियोजना अनुप्रवर्तन समिति की बैठकों पर विस्तृत दिशानिर्देश
3. **अनुबंध III:** एसएलपीएमसी बैठक सम्पन्न होने के पश्चात एसपीपीआईडी को रिपोर्टिंग करने हेतु प्रारूप.
4. **अनुबंध IV:** संपन्न बीएलपीएमसी बैठकों के विवरण.

NABARD

अनुबंध – I

सीबीएस परियोजना हेतु अभिशासन तंत्र का ढांचा

अभिशासन तंत्र में तीन स्तर होंगे यथा जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर. अभिशासन तंत्र के प्रत्येक स्तर के विवरण की व्याख्या नीचे दी गई है.

अभिशासन तंत्र	बैंक स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
समिति का नाम	***बैंक स्तरीय*** सीबीएस परियोजना प्रबंधन समिति (बीएलपीएमसी)	***राज्य स्तरीय*** सीबीएस परियोजना प्रबंधन समिति (एसएलपीएमसी)	***राष्ट्रीय स्तरीय*** *सीबीएस परियोजना प्रबंधन समिति (एनएलपीएमसी)*
कार्य	बीएलपीएमसी, परियोजना के कार्यान्वयन और प्रगति से संबन्धित सभी पहलुओं का अनुप्रवर्तन करेगी और जहां भी आवश्यक हो वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई करेगी.	एसएलपीएमसी, राज्य में चल रही परियोजना की समग्र प्रगति का अनुप्रवर्तन करेगी और परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में जिला स्तर से अग्रेषित की गई समस्याओं का समाधान करेगी.	एनएलपीएमसी, वृहद् स्तर पर परियोजना की समीक्षा करेगी और दोनों वेंडर राज्य-वार आधार पर परियोजना की प्रगति के साथ-साथ परियोजना की समग्र रूप से प्रगति, चिंता के क्षेत्र और वांछित सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की रिपोर्टिंग करेंगे.
सदस्य	• संबंधित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष) • एप्लिकेशन सेवा प्रदाता (एएसपी) के परियोजना प्रबंधक • बैंक से कुल 1 या 2 व्यक्ति (विशेष आमंत्रिती) • जिला विकास प्रबंधक (जिला	• राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष) • नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (या प्रतिनिधि) • सहभागी मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी	• एसपीपीआईडी, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक (अध्यक्ष) • नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों (परियोजना में भाग लेने वाले) के मुख्य महाप्रबंधक • सभी रास बैंकों (परियोजना में भाग लेने वाले) के प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी

अभिशासन तंत्र	बैंक स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
	मध्यवर्ती सहकारी बैंक हेतु)/ नाबार्ड से नोडल अधिकारी (राज्य सहकारी बैंक हेतु) (विशेष आमंत्रिती) • परियोजना प्रबंधक: संबंधित जिमस बैंक/ रास बैंक के आईटी नोडल अधिकारी (सदस्य-सचिव)	अधिकारी • एप्लिकेशन सेवा प्रदाता (एएसपी) के परियोजना प्रबंधक • नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के नोडल अधिकारी • परियोजना प्रबंधक: रास बैंक के आईटी नोडल अधिकारी (सदस्य-सचिव) • नाबार्ड के प्रधान कार्यालय से विशेष आमंत्रिती* • *आवश्यकता के आधार पर बैठकों में उपस्थित होंगे.*	अधिकारी • एएसपी परियोजना प्रायोजक/ एएसपी परियोजना प्रबंधक • एएसपी परियोजना निदेशक • एसपीपीआईडी, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक (सदस्य सचिव)
आवृति	पाक्षिक	मासिक	अर्धवार्षिक (अथवा नाबार्ड के निर्णय के अनुसार)
बैठक दिवस	माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को बीएलपीएमसी की बैठक आयोजित की जाए. यदि उक्त दिवस को अवकाश होता है, तो बैठक का आयोजन उससे **पूर्व** के कार्य दिवस पर किया जाए.	माह के दूसरे शुक्रवार को एसएलपीएमसी की बैठक आयोजित की जाए. यदि उक्त दिवस को अवकाश होता है, तो बैठक का आयोजन उससे **पूर्व** के कार्य दिवस पर किया जाए.	वित्तीय वर्ष की दूसरी और चौथी तिमाही में एनएलपीएमसी की बैठक आयोजित की जाए.
सदस्य सचिव	परियोजना प्रबंधक: संबंधित रास बैंक/ जिमस बैंक के आईटी नोडल अधिकारी.	परियोजना प्रबंधक: संबंधित रास बैंक/ जिमस बैंक में आईटी नोडल अधिकारी.	महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक, एसपीपीआईडी, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय.
संयोजक	संबंधित जिमस बैंक/ रास बैंक संयोजक होंगे.	रास बैंक संयोजक होंगे. उस राज्य में जहां रास बैंक, नाबार्ड समर्थित परियोजना का	राज्य का वह रास बैंक जहां बैठक आयोजित की जा रही है, वह संयोजक होगा.

अभिशासन तंत्र	बैंक स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
		भाग नहीं है, वहाँ एसएलपीएमसी की बैठक का संयोजन परियोजना में शामिल सभी जिमस बैंकों द्वारा आपसी सहमति से चयनित जिमस बैंक द्वारा किया जाएगा/ नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नामित जिमस बैंक द्वारा किया जाएगा. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के डीएफआईबीटी के महाप्रबंधक एसएलपीएमसी के अध्यक्ष होंगे. ऐसे मामलों में रास बैंक विशेष आमंत्रिती होगा.	बैठक का आयोजन प्रत्येक कार्यान्वयनकर्ता राज्य में रोटेशन के आधार पर होगा.

<u>नोट्स</u>:

1. उपर्युक्त समितियों के अध्यक्ष या नाबार्ड को किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित करने का विवेकाधिकार होगा.
2. पूर्व में गठित दो कार्यान्वयन समितियां, राज्य स्तरीय सीबीएस परियोजना अनुप्रवर्तन समिति (एसएलपीएमसी) में सम्मिलित की जाएंगी. इसके बाद से, परिवर्तन अनुरोधों (सीआर) को छोड़कर इन समितियों द्वारा निष्पादित सभी कार्यों का निर्वहन एसएलपीएमसी द्वारा किए जाएंगे.
3. परिवर्तन अनुरोधों पर क्रमशः टीसीएस और फिनेकल क्लाउड्स के लिए गठित समझौता वार्ता समितियों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा और उन पर निर्णय लिया जाएगा.

NABARD

अनुबंध II

राज्य स्तरीय परियोजना अनुप्रवर्तन समिति (एसएलपीएमसी) की बैठकों के आयोजन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश

1. राज्य स्तरीय परियोजना अनुप्रवर्तन समिति की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाएंगी.
2. राज्य एसएलपीएमसी की बैठक का आयोजन राज्य के राज्य सहकारी बैंक द्वारा अनुबंध I में इंगित सदस्यों की सहभागिता के साथ किया जाएगा.
3. उन राज्यों में जहां का राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड समर्थित परियोजना का भाग नहीं है, वहाँ एसएलपीएमसी की बैठक का आयोजन परियोजना में शामिल सभी ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आपसी सहमति से नामित जिमस बैंक द्वारा किया जाएगा या नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नामित जिमस बैंक द्वारा किया जाएगा.
4. उपर्युक्त क्रम. सं. 3 में दर्शाए गए संयोजक बैंक के आईटी नोडल अधिकारी समिति के **सदस्य सचिव** होंगे.
5. बैठक की तिथि का निर्णय संबंधित रास बैंक/ जिमस बैंक द्वारा नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ परामर्श से किया जाएगा. बैठक की तिथि की सूचना संबंधित रास बैंक/ जिमस बैंक द्वारा सभी सदस्यों को काफी पहले (कम से कम एक सप्ताह पहले) प्रेषित कर दी जाएगी जिससे वें बैठक में भाग लेने की योजना बना सकें.
6. बैठक का आयोजन करने से पहले, संयोजक बैंक के आईटी नोडल अधिकारी/ सदस्य सचिव सभी बैंकों से सीबीएस के कार्यान्वयन से संबंधित परिचालनात्मक मुद्दे मंगवाएंगे और उन्हें समेकित करेंगे, कार्यसूची तैयार करेंगे तथा उन्हें एसएलपीएमसी के सदस्यों को प्रेषित करेंगे.
7. बैठक का स्थान, संबंधित संयोजक बैंक का प्रधान कार्यालय होगा या संयोजक बैंक और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आपसी सहमति से चयनित कोई अन्य स्थान होगा.
8. एसएलपीएमसी की बैठक में संयोजक बैंक के आईटी नोडल अधिकारी/ सदस्य सचिव द्वारा कार्यसूची की मदों की प्रस्तुति की जाएगी तथा एप्लिकेशन सेवा प्रदाता से मामलों के समाधान हेतु प्रतिक्रिया ली जाएगी.
9. परियोजना के संपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान संयोजक बैंक के आईटी नोडल अधिकारी/ सदस्य सचित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के नोडल अधिकारी के साथ निकटतम समन्वय बनाए रखेंगे.
10. एसएलपीएमसी बैठक के दौरान एप्लिकेशन सेवा प्रदाता के परियोजना प्रबंधक को मुद्दे-वार समाधानों और विशिष्ट समयसारणियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा.
11. एसएलपीएमसी के सभी सदस्यों की चर्चा में सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
12. एसएलपीएमसी की बैठक का कार्यवृत्त संयोजक बैंक के आईटी नोडल अधिकारी/ सदस्य सचिव द्वारा तैयार की जाएगी और एसएलपीएमसी के सभी सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी. यह कार्य बैठक सम्पन्न होने की तिथि के एक सप्ताह के भीतर किया जाए.
13. क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी और डीएफआईबीटी के महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी और महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि एसएलपीएमसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और उक्त के संबंध में एक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय के एसपीपीआईडी को अनुबंध II में संलग्न प्रारूप के अनुसार भेजी जाती है.

NABARD

अनुबंध III

एसएलपीएमसी की बैठक के आयोजन के पश्चात प्रधान कार्यालय के एसपीपीआईडी को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट का प्रारूप

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम: ______________________________

बैठक की तिथि: ____________________________

बैठक का स्थान: _____________________________

भाग – अ		
बैठक की कार्यसूची		
क्र. सं.	**कार्यसूची**	**अभ्युक्तियां**
1		
2		
3		

भाग – आ					
बैठक के दौरान चर्चा में आए मामले					
क्र. सं.	**मामले का विवरण**	**प्रस्तावित समाधान**	**किसके द्वारा किया जाना है (नाम)**	**मामले का निपटान किस तिथि तक होगा**	**अभ्युक्तियां**
1					
2					
3					

भाग – इ					
प्रतिभागियों की सूची					
क्र. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**संगठन**	**ईमेल-आईडी**	**मोबाइल नं.**
1					
2					

अनुबंध IV

बीएलपीएमसी की बैठक सम्पन्न होने के पश्चात नाबार्ड के प्रधान कार्यालय के एसपीपीआईडी और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले बीएलपीएमसी की बैठक के विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम: ________________________________

बैठक की तिथि: ______________________________

बैठक का स्थान: _______________________________

क्र. सं..	बैंक का नाम	बैठक की तिथि	क्या एप्लिकेशन सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि उपस्थित हुए? (हाँ/ नहीं)	उठाए गए प्रमुख मुद्दे	प्रस्तावित कार्रवाई

नोट: उपर्युक्त विवरण संबंधित रास बैंक/ जिमस बैंक के आईटी नोडल अधिकारी (जो बीएलपीएमसी के सदस्य सचिव हैं) द्वारा नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक आधार पर समेकित कर भेजी जाए.